मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-3/2002/3/एक, भोपाल, दिनांक 29 मई, 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :—समस्त कार्य विभागों एवं राजस्व विभाग के उपखण्ड अधिकारियों को उनके अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों पर लघुशास्ति के अधिकार.

विषयान्तर्गत प्रकरण में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-6-3-2002/3/एक, दिनांक 29-5-2002 द्वारा समस्त कार्य विभागों के उपखण्ड अधिकारियों को एवं आदेश क्र. सी-6-3ए-2002/3/एक, दिनांक 29-5-2002 द्वारा राजस्व विभाग के उपखण्ड अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों पर लघुशास्ति के अधिकार दिये गये हैं, जिनका प्रकाशन म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 29-5-2002 में किया गया है. राजपत्र की प्रति संलग्न प्रेषित है.

हस्ता./-
(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 238 बुधवार, दिनांक 29 मई 2002 को प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2002

क्र. सी-6-3-2002-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) और (ख) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य के समस्त कार्य विभागों के समस्त उप-खण्ड अधिकारियों को, उनके अपने-अपने कार्यालयों में पदस्थ तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के सरकारी सेवकों पर, उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सशक्त करते हैं और ऐसा सरकारी सेवक, उप-खण्ड अधिकारी के आदेश के विरुद्ध संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को अपील कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2002

क्र. सी-6-3-2002-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-3-2002-3-एक, दिनांक 29 मई 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 29th May 2002

No. C-6-3-2002-3-EK.—In pursuance of clause (a) and (b) of sub-rule (2) of rule 12 of the Madhya Pradesh Civil services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, the Governor of Madhya Pradesh, hereby empowers all the Sub-Divisional Officers of all works departments of the State to impose the minor penalities specified in Clauses (I) to (IV) of rule 10 of the said rules on class III and class IV Government Servants posted within their respective Offices and such Government servant may prefer an appeal against the order of the Sub-Divisional Officer to the concerned Appointing Authority.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2002

क्र. सी-6-3ए-2002-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) और (ख) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य के समस्त उप-खण्ड अधिकारियों (राजस्व) को, उनके अपने-अपने कार्यालयों तथा उनके अधीनस्थ तहसीलदार के कार्यालयों में पदस्थ तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के सरकारी सेवकों पर, उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सशक्त करते हैं. ऐसा सरकारी सेवक, उप-खण्ड अधिकारियों (राजस्व) के आदेश के विरुद्ध अपील संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2002

क्र. सी-6-3-2002-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-3ए-2002-3-एक, दिनांक 29 मई 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 29th May 2002

No. C-6-3A-2002-3-EK.—In pursuance of clause (a) and (b) of sub-rule (2) of rule 12 of the Madhya Pradesh Civil services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, the Governor of Madhya Pradesh, hereby empowers all the Sub-Divisional Officers (Revenue) of the State to impose the minor penalities specified in Clause (I) to Clause (IV) of rule 10 of the said rules on Class III and Class IV Government Servants posted within their respective Offices and subordinats offices of the Tahsildar. Such Government servant may prefer an appeal against the order of the Sub-Divisional Officers (Revenue) to the concerned Appointing Authority.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Addl. Secy.